कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा जैसलमेर

क्रमांकः–जिशिअ/माध्य/जैसल/संस्था–1/नियु. प्रयो. सहा. ग्रेड–III/2018/ 2152 दिनांकः– 19/06/18

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III/सी.भ./2016 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक (तृतीय वेतन श्रृखला) पद लेवल–8 में प्रोबेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित चयनित अभ्यार्थियों को तृतीय वेतन श्रृखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर लेवल–8 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियम मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम –2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 18500/– (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.6.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.17(15) शिक्षा–2/2014 दिनांक 19.12.2017 में अंकित बिन्दु संख्या 2(ए से जी)के अनुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की गयी हैं।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाती है अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही करें।**

6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।

7. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(15) शिक्षा–2/2014 दिनांक 19.12.2017 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 02 (ए से जी) में वर्णित निर्देशानुसार पूर्व में आयोजित परामर्श शिविर के आधार की गई है।

8. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की जावें।

9. नियुक्त आशार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

10. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।**

11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

12. उक्त पद पर कार्यग्रहण करने पर, इनके कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

क्र0सं0	वरीयता क्रमांक	रोल न0	नाम अभ्यार्थी	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1	3092	430338	Satya narayan meena	16.04.1992	ST	STM	राउमावि पोकरण	सांकड़ा

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक** 30.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण एवं 10 नम्बर प्रपत्र की सूचना तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(मन्नाराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर

क्रमांकः–जिशिअ/माध्य/जैसल/संस्था–1/नियु. प्रयो. सहा. ग्रेड–III/2018/ 2153-63 दिनांकः– 19/06/18

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।

2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर
6. निदेशक, (माध्यमिक / प्रारम्भिक) शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक, (माध्यमिक / प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग जोधपुर
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जैसलमेर।
9. संबंधित बीईईओ पं0स0 सम / सांकड़ा / जैसलमेर।
10. संबंधित संस्थाप्रधान...
11. संबंधित आशार्थी...पंजीकृत डाक द्वारा
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
13. वरिष्ठता अनुभाग / लेखा अनुभाग / सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय / रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर